छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512123, ceocghb@yahoo.com, Website:-www.cghb.gov.in

// परिपत्र //

क्रमांक 19

दिनांक 13/10/2021

विषयः—मण्डल की स्ववित्तीय योजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान एकमुश्त राशि जमा करने पर हितग्राहियों को छूट प्रदान करने बाबत्।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के परिपत्र क्रमांक 05, दिनांक 15.03.2011 द्वारा मण्डल के निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं में जिन हितग्राहियों को पंजीयन स्वीकृत आबटन आदेश जारी किया गया है या जारी किया जाना है, ऐसे हितग्राहियों को आबंटित संपत्ति के विरुद्ध जमा की जाने वाली प्रथम किश्त राशि के समय 04 समान किश्तें एकमुश्त जमा करने पर संपत्ति के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से छूट दिया जाता है।

वर्तमान में कुछ प्रकरणों में देखा गया गया है कि, प्रक्षेत्र कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रकरण स्वीकृति के लिए प्रेषित किए जा रहे है, जिसमें 04 से कम किश्तों एवं निर्माण पूर्णता के स्तर पर भवनों का आबंटन एकमुश्त के बजाय स्ववित्तीय आधार पर किया जाकर 5 प्रतिशत छूट की मांग किया जा रहा है या संपत्ति का निर्माण पूर्ण होने पश्चात् भी किश्त निर्धारित कर प्रथम किश्त के पूर्व संपूर्ण राशि जमा कराई जा रही है, जिससे कि मण्डल को वित्तीय हानि का सामना करना पड रहा है। तदसंबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए छूट हितग्राही का दिया जाना है :—

1. यह केवल स्ववित्तीय आवासीय योजना के लिए लागू होगी।
2. आबटन पश्चात् शेष राशि प्रथम किश्त के समय एकमुश्त समस्त किश्त जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
3. आबंटन पश्चात संपूर्ण किश्त की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष अनिवार्य है। संपूर्ण किश्त की अवधि 2 वर्ष से कम है, वो पात्र नही होगे।
4. आबंटन पश्चात् न्यूनतम 04 किश्त निर्धारित की जाए। जिन भवनों के आबंटन में 04 से कम किश्त निर्धारित की गई हो छूट हेतु पात्र नही होगें।
5. ऐसे प्रकरण जिनमें किश्त की तिथि पुनरीक्षित की गई हो एवं संशोधित तिथि के अनुसार प्रथम किश्त के समय राशि जमा करने पर छूट के पात्र नही होगे।
6. आबंटन में सर्वप्रथम निर्धारित किश्त तालिका के अनुसार प्रथम किश्त से 01 दिन भी विलंब होने की स्थिति में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान नही की जावेगी।
7. ऐसे भवन जिनमें आबटन के समय निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया हो, 5 प्रतिशत छूट नही दी जावेगी।

क्रमशः—02

8. ऑनलाईन लेजर में छूट की प्रविष्टी मुख्यालय के अनुमति के बिना नही होगें एवं संपदा अधिकारी 1 से 7 कंडिका का पालन करते हुए छूट हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेगें।

उक्त निर्देशानुसार संपदा अधिकारी आबंटन आदेश जारी करते समय छूट की नियम/शर्तो का ध्यान रखेगें एवं ऑनलाईन लेजर में समस्त प्रविष्टीयॉ पूर्ण कर आबंटित भवन के विरुद्ध कोई शेष राशि नही होने के पश्चात् ही हितग्राही को आधिपत्य प्रदान करेगें।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

13/10/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 1763 /सं.प्र.शा./मु.स.अ./मुख्या/एफ– /21 नवा रायपुर, दिनॉक 13/10/2021

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01,02,03,04, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग–01, नवा रायपुर/दुर्ग/राजनादगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/परि. संभाग कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,04 रायपुर सेजबहार/ प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना–रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर /रायगढ/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः–03

8. ऑनलाईन लेजर मे छूट की प्रविष्टी मुख्यालय के अनुमति के बिना नही होगें एवं संपदा अधिकारी 1 से 7 कंडिका का पालन करते हुए छूट हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेगें।

उक्त निर्देशानुसार संपदा अधिकारी आबंटन आदेश जारी करते समय छूट की नियम/शर्तो का ध्यान रखेगें एवं ऑनलाईन लेजर मे समस्त प्रविष्टीयॉ पूर्ण कर आबंटित भवन के विरुद्ध कोई शेष राशि नही होने के पश्चात् ही हितग्राही को आधिपत्य प्रदान करेगें।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

13/10/2021

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 1763/सं.प्र.शा./मु.स.अ./मुख्या/एफ– /21 नवा रायपुर, दिनॉक 13/10/2021

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01,02,03,04, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग–01, नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/परि. संभाग कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,04 रायपुर सेजबहार/ प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना–रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः–03